माननीय राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वा०

न्यायालय श्रीमान अपरआयुक्त महोदय ग्वालियर-म0प्र0

प्रकरण क्रमांक निगरानी /17 III/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/2563

(1)महेन्द्र पुत्र लालजीराम यादव जाति यादव

(2)राजपाल पुत्र अमरसिह जाति यादव

निवासीजन पाटई तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

--निगरानीकर्ताजन

बनाम

फूलचंद पुत्र दरयाव जाति चमार निवासी ग्राम

छैलाई तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

-प्रतिनिगरानीकर्ता

।। निगरानी ।।

महेन्द्र सिंह
राजपालसिंह

यहकि अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा जो पटटा दिया गया है जो गैर कियम से दिया गया है क्योकि आवासीय मकान होने के कारण उपरोक्त भूमि वंटन के उपयोग मे नही ली जा सकती जिस पर से निकाला गया निष्कर्ष तहसीलदार महादय का आदेश निरस्ती योग्य है ।

3/ यहकि अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा जो वंटन कार्यवाही की गई है वह गैर कानूनी होने से आदेश निरस्त किये जाने योग्य था लेकिन उपरोक्त अपीलधारा 5अवधि विधान पर से निरस्त की गई जो आदेश विधिविपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ यहकि तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्रमांक 56अ19/02-03 आदेश दिनांक 31/12/2002 मे कोई भी कार्यवाही विधिअनुकूल नही हुई है न ग्राम मे डयोडी पिटवाई और न ही इश्तहार सूचना आदि निकाली गई है । जब इश्तहार डयूडी ग्राम मे पिटवाई नही गई है तो निगरानीकर्ताजन को कैसे जानकारी होती। इस कारणआदेश धारा 5 अवधि विधान का किया गया है वह निरस्ती योगय है ।

5/ यहकि निगरानीकर्ताजन द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय से अपनी अपील मे निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही की गई तब अपीलांट को पता चला की उपरोक्त भूमि का पटटा हुआ है ।पटटा कार्यवाही पर से रिस्पोडेट द्वारा इतने लंबे समय तक कब्जा करने की कोई कार्यवाही नही की ।सीमांकन दिनांक27/6/15को कराया और धारा 250 के तहत तहसीलदार महोदय के न्यायालय मे वेदखली हेतु दावा पेश कर दिया । निगरानीकर्ताजन को दिनांक 21/7/15को तामील जारी की गई और तहसीलदार महोदय द्वारा वेदखली की कार्यवाही की गई तब निगरानीकर्ताजन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय को अपील प्रस्तुत कर धारा 52 पर निवेदन किया गया कि इतने लंबे समय पश्चात कब्जे की मांग की जा रही है और निगरानीकर्ताजन का मकान एवं ट्यूबवेल लगा हुआ है अगर कब्जा छूटता है तो हम अपीलांटस/ को अपरीमित क्षतिहोगी जो वाद न्यायालयीन कार्यवाही द्वारा पूरी नही की जा सकती है । तब अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा धारा 52 पर स्थगन दिया गया तब धारा 250 की कार्यवाही रोकी गई ।

राजपाल सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2563

महेन्द्र व अन्य विरूद्ध फूलचंन्द

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ईसागढ़, जिला–अशोकनगर के प्र. क्र. 58/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03–03–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 24/6/19	